



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



सीबीएसई/सीई/2-बोर्ड परीक्षाएं-X/2025

दिनांक:- 25.06.2025

प्रेस प्रकाशनी

विषय:- 2026 से कक्षा X में दो बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पैरा 4.37 के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं के 'उच्च दांव' (हाई स्टेक्स) वाले स्वरूप को सहज करने के उद्देश्य से, प्रत्येक छात्र को किसी भी शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाएगी — एक बार मुख्य परीक्षा के रूप में तथा इच्छानुसार एक बार सुधार हेतु।

आगे, पैरा 4.38 में उल्लिखित है कि "अधिक लचीलापन, छात्र विकल्प, और दो में से सर्वश्रेष्ठ प्रयासों की व्यवस्था लागू करने के अतिरिक्त, बोर्ड परीक्षाओं में प्रमुख रूप से मूल क्षमताओं की आकलन पद्धति को तत्काल सुधार के रूप में शामिल करना चाहिए। समय के साथ बोर्ड परीक्षाओं के ऐसे व्यवहार्य मॉडल भी विकसित किए जा सकते हैं जो परीक्षा के दबाव और कोचिंग संस्कृति को कम करें। कुछ संभावनाओं में शामिल हो सकते हैं: वार्षिक/सेमेस्टर/मॉड्यूल आधारित बोर्ड परीक्षाओं की प्रणाली विकसित की जा सकती है — जिसमें प्रत्येक परीक्षा में बहुत कम सामग्री हो, और वह स्कूल में संबंधित पाठ्यक्रम के ठीक बाद आयोजित की जाए — ताकि परीक्षा का दबाव संतुलित ढंग से बंट सके, पहले की तुलना में कम प्रबल हो, और माध्यमिक स्तर पर 'उच्च दांव' वाली प्रकृति से मुक्त हो; सभी विषयों और संबंधित आकलन को, गणित से प्रारंभ करते हुए, दो स्तरों पर प्रस्तुत किया जा सकता है — जिसमें छात्रों के कुछ विषयों को मानक स्तर पर और कुछ उच्च स्तर पर; और कुछ विषयों की बोर्ड परीक्षाओं को दो भागों में पुनः डिज़ाइन किया जा सकता है — एक भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार का जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हों, और दूसरा वर्णनात्मक (descriptive) प्रकार का।"

सीबीएसई द्वारा निर्णय

एनईपी-2020 की सिफारिशों और हितधारकों के परामर्श के अनुसार, सीबीएसई ने 2026 से दसवीं कक्षा में दो बोर्ड परीक्षाओं की नीति को लागू करने का निर्णय लिया है।

दो बोर्ड परीक्षाओं की योजना

(i). सामान्य शर्तें

1. सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।
2. सभी उत्तीर्ण और पात्र छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति दी जाएगी।
3. यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को "आवश्यक पुनरावृत्ति" श्रेणी में रखा जाएगा और वे अगले साल फरवरी के महीने में मुख्य परीक्षाओं में ही परीक्षा दे सकते हैं।
4. जिन छात्रों का पहली परीक्षा में परिणाम कम्पार्टमेंट है, ऐसे छात्रों को कम्पार्टमेंट श्रेणी के तहत दूसरी

24/7



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077

CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

5. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं दी जाएगी, छात्रों को स्टैंड-अलोन विषयों में अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) विशेष श्रेणी के लिए योजना

1. खेल के छात्रों को उन विषयों में दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनकी परीक्षाएं उनके खेल आयोजन के साथ मेल खाती हैं।

2. विंटर बाउंड स्कूलों के छात्र प्रस्तावित विषयों में पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं।

3. सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों को दी जाने वाली सुविधाएं दूसरी परीक्षाओं में भी दी जाएंगी।

(iii) आंतरिक मूल्यांकन का संचालन

1. मुख्य परीक्षाओं से पहले केवल एक बार आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा।

(iv) परीक्षाओं का कार्यक्रम

1. मुख्य या पहली परीक्षाएं अभी की तरह फरवरी के मध्य से शुरू होंगी।

2. दूसरी परीक्षा मई के महीने में आयोजित की जाएगी।

(v) परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्रता मानदंड

1. पहली परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी। प्रथम परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी:

(क) दसवीं कक्षा के नए छात्र

(ख) द्वितीय अवसर कम्पार्टमेंट

(ग) पिछले वर्ष की अनिवार्य पुनरावृत्ति

(घ) सुधार परीक्षा

2. द्वितीय परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी:

(i) सुधार श्रेणी 3 मुख्य विषयों तक

(ii) प्रथम/तृतीय अवसर कम्पार्टमेंट

(iii) कम्पार्टमेंट + सुधार (iv) विषय के प्रतिस्थापन द्वारा उत्तीर्ण छात्रों के लिए सुधारा

(vi) पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना

1. दोनों परीक्षाएँ वर्ष के लिए निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम पर आयोजित की जाएँगी।

Ling



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077

CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



2. अध्ययन की योजना और परीक्षा योजना वही रहेगी।

(vii) परीक्षाओं के लिए एलओसी जमा करना

1. एलओसी भरना और मुख्य/प्रथम परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
2. द्वितीय परीक्षा के लिए एलओसी अलग से भरा जाएगा। हालाँकि, द्वितीय परीक्षा के एलओसी में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा।
3. प्रथम परीक्षा से द्वितीय परीक्षा में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय नीति के अनुसार अनुमति के।

(viii) परिणाम घोषणा

1. सभी छात्रों का परिणाम परीक्षा उपनियमों के अनुसार घोषित किया जाएगा।
2. प्रथम परीक्षा का परिणाम अप्रैल माह में घोषित किया जाएगा।
3. द्वितीय परीक्षा का परिणाम जून माह में घोषित किया जाएगा।
4. मुख्य परीक्षा का प्रदर्शन डिजीलॉकर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उपयोग कक्षा ग्यारह में प्रवेश के लिए किया जा सकता है, यदि छात्र सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है। द्वितीय परीक्षा के परिणाम के बाद सभी छात्रों को उत्तीर्णता दस्तावेज जारी किए जाएंगे।
5. योग्यता प्रमाण पत्र भी द्वितीय परीक्षा के बाद ही जारी किया जाएगा।

(ix) परिणाम के बाद की सुविधाएँ

1. दोनों परीक्षाओं यानी मुख्य और द्वितीय परीक्षा के लिए फोटोकॉपी, सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की सुविधाएँ द्वितीय परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ही उपलब्ध होंगी।

(x) कक्षा XI में प्रवेश

1. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों को कक्षा XI में अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा और द्वितीय परीक्षा के परिणाम के आधार पर उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

Signature
25/6/25

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077

CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



CBSE/CE/2-Board Examinations-X/2025

Dated: 25.06.2025

Press Release

Sub:- Two Board Examinations in Class X from 2026- regarding

Background

Para 4.37 of National Education Policy-2020 stipulate that **“To further eliminate the ‘high stakes’ aspect of Board Exams, all students will be allowed to take Board Exams on up to two occasions during any given school year, one main examination and one for improvement, if desired.”**

Further, in PARA 4.38 it is mentioned that **“In addition to introducing greater flexibility, student choice, and best-of-two attempts, assessments that primarily test core capacities must be the immediate key reforms to all Board exams. Boards may over time also develop further viable models of Board Exams that reduce pressure and the coaching culture. Some possibilities include: a system of annual/semester/modular Board Exams could be developed - that each test far less material, and are taken immediately after the corresponding course is taken in school - so that the pressure from exams is better distributed, less intense, and less high-stakes across the Secondary Stage; all subjects and corresponding assessments, beginning with mathematics, could be offered at two levels, with students doing some of their subjects at the standard level and some at a higher level; and Board exams in certain subjects could be redesigned to have two parts – one part of an objective type with multiple-choice questions and the other of a descriptive type.”**

Decision by the CBSE

As per the recommendations of the NEP-2020 and stakeholders consultations, CBSE has decided to implement the policy of two Board Examinations in Class X from 2026 examinations.

Scheme of Two Board Examinations

(i). General Conditions

1. It is mandatory for all the students to appear in the first Board examination.
2. All passed and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the three subjects out of Science, Mathematics, Social Science and languages.
3. If a student has not appeared in 3 or more subjects in first examination, then s/he will not be allowed to appear in the 2nd



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077

CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



examination. Such students will be placed in the "Essential Repeat" category and can take the examination only next year in the main examinations in the month of February next year.

4. For students whose result in the first examination is Compartment, such students will be allowed to appear in second examination under Compartment Category.
5. Additional Subjects will not be permitted after passing class X, students will not be allowed in stand-alone subjects.

(ii). Scheme for Special Category

1. Sports students will be allowed to appear in 2nd examinations in the subjects whose examinations have coincides with their sports event.
2. Winter Bound Schools' students may choose to appear either in first examinations or second examinations in offered subjects.
3. The facilities extended to CWSN candidates will be extended in 2nd examinations also.

(iii). Conduct of Internal Assessment

1. Internal assessment will be conducted only once before the main examinations.

(iv). Schedule of the Examinations

1. Main or 1st examinations will begin from Mid-February as conducted now.
2. Second examination will be conducted in the month of May.

(v). Eligibility Criteria for Appearing in the Examinations

1. First examination will be the main examination. The eligibility to appear in the first examination will be:
 - (a) Fresh students of Class X
 - (b) Second Chance Compartment
 - (c) Essential Repeat of previous year
 - (d) Improvement examination
2. The eligibility to appear in the second examination will be:
 - (i) Improvement category up to 3 main subjects
 - (ii) First/Third Chance Compartment
 - (iii) Compartment + Improvement
 - (iv) Improvement for the students passed by the replacement of the





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



subject.

(vi). Syllabus and Scheme of Examinations

1. Both the examinations will be conducted on the full syllabus meant for the year.
2. The scheme of studies and scheme of examinations will remain the same.

(vii). LOC Submission for the examinations

1. Filling of LOC and appearing in the Main/first examination will be compulsory.
2. LOC for the 2nd examinations will be filled in separately. However, no new names will be added to the LOC of the 2nd examination.
3. Subject change will not be allowed from first examination to second examinations except permitted as per policy.

(viii). Result Declaration


1. Result of all the students will be declared as per Examination Bye-Laws.
2. Result of First examinations will be declared in the month of April.
3. Result of Second examinations will be declared in the month of June.
4. Performance of main examination will be made available in DigiLocker. This could be used for admission to class XI if the student does not wish to appear in 2nd examinations for improvement. Passing document will be issued to all the students after the results of Second examinations.
5. Merit certificate will also be issued only after second examination.

(ix). Post Result Facilities

1. Facilities of Photocopy, verification and re-evaluation will be available only after declaration of results of 2nd examination for both the examinations i.e. Main and 2nd examinations.

(x). Admission in Class XI

1. Students not qualified in the main examination will be allowed provisional admission in Class XI and based on the result of the 2nd examination, their admission will be confirmed.


25/6/25

(Dr. Sanyam Bhardwaj)
Controller of Examinations



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077

CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

